भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2098

06 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दावों का निपटान

2098 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

श्री नीरज डांगी:

श्री शक्तिसिंह गोहिल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रीमियम की कुल कितनी धनराशि संग्रहित की गई है;

(ख) उक्त राज्यों में किसानों द्वारा कुल कितनी राशि का दावा किया गया और लम्बित दावों की कुल राशि कितनी है;

(ग) ऐसे दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है; और

(घ) सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दावों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): पीएमएफबीवाई के अंतर्गत राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पिछले चार वर्षों अर्थात 2016-17 से 2019-20 के लिए सकल प्रीमियम, सूचित किए गए दावों और भुगतान किए गए दावों का विवरण **संलग्न** है।

इस योजना के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आम तौर पर बीमा कंपनियों द्वारा फसलोपरान्त फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई)/ कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीने के भीतर और बाधित बुवाई, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और कटाई के बाद के

जोखिमों/खतरों की दृष्टि से अधिसूचना के एक महीने के भीतर संबंधित सरकार से प्रीमियम सब्सिडी के कुल हिस्से की समय पर प्राप्ति के अधीन किया जाता है। तथापि, कुछ राज्यों में दावों के निपटान में देरी के कारणों जैसे उपज डेटा विलंब से देना; कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना; बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवादों; पात्र किसानों के बैंक खाते में दावों के अंतरण के लिए कुछ किसानों के खाते के विवरण की प्राप्ति न होना और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसानों के डेटा की गलत/अपूर्ण प्रविष्टि, किसानों के प्रीमियम हिस्से के भुगतान में विलंब/किसानों के प्रीमियम के हिस्से को संबंधित बीमा कंपनी को भुगतान न करना, आदि से दावों के निपटान में विलंब होता है।

यह विभाग पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है जिसमें हितधारकों के साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावों का समय पर निपटान, बीमा कंपनियों/राज्यों के साथ सीधी बैठकें आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निस्तारण में विलंब होने और राज्य सरकारों द्वारा विलम्ब से निधियों की निर्मुक्ति की स्थिति में, योजना के संशोधित/पुर्नोत्थान परिचालन दिशानिर्देशों के तहत दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से अंतिम उपज डेटा प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए किसानों को प्रति वर्ष 12% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) - www.pmfby.gov.in को पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया/गतिविधियों को डिजिटल बनाने और बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं की प्रदायगी जिसमें किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड/प्राप्त करना और व्यक्तिगत किसानों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का सीधा अंतरण सुनिश्चित करना भी शामिल है, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित

करने के लिए राज्यों द्वारा एनसीआईपी पर उपज डेटा के वास्तविक समय अंतरण के लिए स्मार्टफोन/सीसीई-एग्री ऐप का उपयोग भी शुरू किया गया है। एनसीआईपी और फसल बीमा ऐप के माध्यम से, किसान अपने फसल बीमा आवेदन को ट्रेक कर सकते हैं और इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा कंपनियों और राज्यों सहित अन्य हितधारकों के बीच तकनीकी विवादों को हल करने के लिए, योजना के तहत केंद्र स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) और राज्य स्तर पर राज्य तकनीकी सलाहकार समितियां (एसटीएसी) भी दावों के शीघ्र निपटान को आसान करने के लिए गठित की गई हैं।

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत राजस्थान, बिहार झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पिछले चार वर्षों यानी 2016-17 से 2019-20 के लिए सकल प्रीमियम, रिपोर्ट किए गए दावों और भुगतान किए गए दावों का विवरण (28.07.2021 तक)

राज्य	2016-17				2017-18			
	सकल प्रीमियम	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	बकाया दावे	सकल प्रीमियम	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	बकाया दावे
	करोड़ रूपए में							
बिहार	1,416.0	347.8	347.8	-	1,028.8	401.5	401.5	-
गुजरात	2,274.6	1,267.2	1,267.2	-	3,014.3	1,076.7	1,075.8	0.9
झारखंड	271.4	31.1	31.1	0.05	211.9	47.2	47.2	-
महाराष्ट्र	4,596.5	2,317.9	2,317.9	-	4,255.1	3,293.8	3,292.5	1.3
राजस्थान	2,563.6	1,918.2	1,918.2	-	2,704.0	2,232.0	2,232.0	-

राज्य	2018-19				2019-20			
	सकल प्रीमियम	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	बकाया दावे	सकल प्रीमियम	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	बकाया दावे
	करोड़ रूपए में							
बिहार	कार्यान्वित नहीं किया गया				कार्यान्वित नहीं किया गया			
गुजरात	3,141.4	2,778.1	2,777.9	0.2	3,615.0	354.9	111.7	243.2
झारखंड	397.4	684.9	21.1	663.8	356.0	25.5	-	25.5
महाराष्ट्र	6,120.7	6,069.3	6,063.0	6.3	6,348.4	6,732.5	6,723.4	9.1
राजस्थान	3,658.0	3,468.6	3,465.9	2.8	5,061.6	4,948.0	4,948.0	-

*****